

7/10/25

पत्राण पेश हुई। प्राची वकील उप०। तहसीलदार नदवई द्वारा पत्रांक 848 दिनांक 26/9/25 से रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शा० पत्रा० की गई। प्राची वकील की वकस सुनी गई। वकस के दौरान प्राची वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्राचीया का नाम लक्ष्मी दर्ज रिकॉर्ड है जो गलत है जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली क्रम पर अपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदवई की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। मुगसिकु नदर रिपोर्ट प्राचीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लक्ष्मी के स्थान पर लक्ष्मीदेवी उर्फ उषा देवी पति लेखराज शा० शाहपुर किये जाने की अभिशंका की गई।

अतः प्राचीया द्वारा प्रस्तुत शा० पत्र

५



स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थिया का
नाम जमावंदी के ~~स्वस्व~~ स्वामा
संख्या 8, 339 वाले ग्राम शाहपुर
में लक्ष्मी के स्थान पर लक्ष्मी देवी उर्फ अषादेवी
पति लेश्वराज सा. शाहपुर किया जाता है।
उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन
करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

पत्रा संसल शुमार लेकर नम्बर
से क्रम की जाकर दारिदल दफतर
हो।